प्रपत्र-30

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand,

Office of the District Collector, Rudraprayag.

No.....

Dated.....

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain

relaxation in respect of linear projects, it is certified that <u>1.340</u> hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Construction Division**, **PWD**, **Ukhimath** (name of user agency) for <u>Construction of Kyark-Barsudi-Bhairon band to Jamethi motor road</u> (purpose for diversion of forest land) in **Rudraprayag** district falls within jurisdiction of <u>Kyark-Barsudi(Jamethi)</u> villages in *Ukhimath* tehsil.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire <u>1.340</u> hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 30.2, 30.3 and annexure 30.4
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) The proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

Signature

District Magistrate Rudraprayag, Uttarakhand.

> र्णलाधिकारी बन्धयाय

38|Page

प्रपत्र-30.1

Annexure -

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR, RUDRAPRAYAG, UTTARAKHAND.

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of **Rudraprayag** district, constituted under FRA 2006 was held under the chairmanship of **Mr...Mongeshimediated**...... District Magistrate, Rudraprayag District, on the date 17, 9.6, 19. at time 1. Provin **Rudraprayag** in which application claiming rights in Forest area measuring 1.340 hectare for the construction of <u>Construction of Kyark-Barsudi-Bhairon band to Jamethi</u> <u>motor road</u> in forest land under FRA 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Ukhimath **Tehsil** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommends the above case for diversion of land for the saided purpose.

District Magistrate Cum-Chairman Disrict Level Committee Rudraprayag, Uttarakhand.

39 | Page

परियोजना का नामः— मा॰मू॰घो॰ संख्या 553/2015 के अन्तर्गत स्वीकृत क्यार्क-बरसूड़ी-भेरों बैण्ड़ से जमेथी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद रुद्रप्रयाग मा॰मु॰घो॰ संख्या 553/2015 के अन्तर्गत स्वीकृत क्यार्क-

बरसूड़ी-भेरों बैण्ड़ से जमेथी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.340 है. पंचायती वनभूमि लोक निर्माण विभाग, ऊखीमठ को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र सं. 11–9/98–एफ.सी., दिनांक 05-02-2013 के द्वारा सड़क निर्माण, नहर निर्माण, पारेषण लाईन, रोपवे, ओ.एफ.सी., केबिल, पाईप लाईन बिछाने आदि प्रयोजनों को भारत सरकार द्वारा वन अधिनियम 2006 के प्राविधानों से मुक्त कर दिया गया है। भारत सरकार के उक्त आदेश के क्रम में प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना विशेष के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Primitive Agriculural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

जिलाधिकारी,

रुद्रप्रयाग। रिजनाधिकारी

ा वाद्रावान्त

(52)

प्रपत्र-30.3

परियोजना का नामः–

मा॰मु॰घो॰ संख्या 553/2015 के अन्तर्गत स्वीकृत क्यार्क-बरसूड़ी-भेरों बैण्ड़ से जमेथी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो॰नि॰वि॰ को हस्तान्तरण।

वन अधिकार अधिनियम, २००६ के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - क्याक बारमुडी

तहसील - ऊखीमठ, जिला – रुद्रप्रयाग,

अनापत्ति का प्रमाण-पत्र

उत्तराखण्ड में मा॰मु॰घो॰ संख्या 553/2015 के अन्तर्गत स्वीकृत वयार्क-बरसूड़ी-भेरों बैण्ड़ से जमेथी तक मोटर मार्ग निर्माण हेत् आरक्षित वनभूमि <u>0.840 है</u>० व पँचायती वनभूमि <u>0.500 है</u> अर्थात कुल <u>1.340 है</u>० आरक्षित व पँचायती वनभूमि का लो०नि०वि० के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एव वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक <u>17</u> <u>/ 0</u> <u>/2019</u> को सम्पन्न ग्राम पंचायत की बैठक में तो0नि0वि0 द्वारा आवेदित पँचायती वनभूमि के संम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित पँचायती वनभूमि में आधिवासी अथवा किसी गैर आधिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नही । उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त पंचायती वनभूमि में किसी भी आधिवासी अथवा गैर आधिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नही किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित पँचायती वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम पंचायत द्वारा सर्वसमति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम <u>क्याक का रही</u> के ग्रामवासियों को उक्त पँचायती वनभूमि उक्त परियोजना हेतु लो०नि०वि० को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एंव सही है।

सरपंच DAUION - AIZIN

42 | Page

h

प्रपत्र-30.4

परियोजना का नामः-


 मा॰मु॰घो॰ संख्या 553/2015 के अन्तर्गत स्वीकृत क्यार्क-बरसूड़ी-भेरों बैण्ड़ से जमेथी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो॰नि॰वि॰ को हस्तान्तरण।

दिनांक 17/ 0/ /2019 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत का नाम - क्यार्क - व्यरस्ट्री

क्र.स. ग्राम सभा	में उपस्थित वरिष्ठ ग्राम वासियों के नाम	
		हस्ताक्षर
1 ~ ~ *	2	$\int 3$
1 71-721/618		Lebanja
	र्राहे - ट्राहिल	120 A
		(aland)
1	THE WIEFT	100070 1150
3 19512	ne -urery	1400 108
	ME SIGN	ichembis
4 (6) (1-1 1	he side	incritais
15,18,1	SE LIDN	
A	0	adjel
6 UNI 16	= 1(2) 21	
	^	Palinh
7 011621	1- 0 62 - 41877	A
	C.	47142
0-10-2	hz 1962	Takry Ton
		1 on From
9 EARRE		- SALINA
		LICINO
10 51/12/015	Rie - 21317	
011114011		STIZTUDIDAE

1 सरपंच मपाल



43 | Page

परियोजना का नामः— मा॰मु॰घो॰ संख्या 553/2015 के अन्तर्गत स्वीकृत क्यार्क-बरसूड़ी-भेरों बैण्ड़ से जमेथी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो॰नि॰वि॰ को हस्तान्तरण ।

कार्यालय उपजिलाधिकारी बसुकेदार

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण – पत्र उपखण्ड़ स्तरीय समिति, बसुकेदार

उपरवण्ड ऊरवीमठ परिक्षेत्र के अन्तर्गत मा॰मु॰घो॰ संख्या 553/2015 के अन्तर्गत स्वीकृत

वयार्क-बरसूड़ी-भेरों बैण्ड़ से जमेथी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतुं आरक्षित वनभूमि 0.840 हैं व पँचायती

अनुसुचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन् अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एंव नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बेठक श्री देव स्तूर्पत्र स्वर्ध्व का उप जिलाधिकारी एंव अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बेठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

	श्री देवरति यादित सामिलाधिकारी वसकेदा। अध्यक्ष	
1-	SI CA TOTAL	_
2-	श्री साह पाटन कि हे में दिया भागीय वनधिकारी	
-	भी इसे वट्री में अन्य समाज कल्याण अधिकारी साधन्य भी भी स्वयंत्र संविव	
4-	शी र र र र र र र र र र र र र र र र र र र	

उपरवण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुये उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि मा॰मु॰घो॰ संख्या 553/2015 के अन्तर्गत स्वीकृत वयार्क-बरसूड़ी-भेरों बैण्ड़ से जमेशी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.340 है॰

का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीयों के समक्ष रखा गया । ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं हैं । उक्त भूमि का संम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गयी हैं ।

संम्बनिधत उपप्रभागीय वनाधिकारी ...र्द्रम्प्रभागे द्वारा अनुसुचित जनजाति एव अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एंव तत्ससम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुऐ जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया गया है । इस सम्बन्ध में ग्राम सभा /पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है । अतः प्रकरण में उपराण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है ।

प्रकरण में उपरवर्ण्ड स्तरांच पंज आवर्ण्यर साजात झोटा जाजा पा जात पा जात के मा॰मु॰घो॰ संख्या 553/2015 के अन्तर्गत बैठक सर्वसम्मति से उपरवण्ड ऊखीमठ परिक्षेत्र के मा॰मु॰घो॰ संख्या 553/2015 के अन्तर्गत स्वीकृत तयार्क-बरसूड़ी-भेरों बैण्ड़ से जमेशी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.340 है॰ वनभूमि का लोक

निर्माण विभाग को जनहित में सक्षम प्रधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उपजिल सिकारी/आध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील – बसुकेदार, जनपद – रूद्रप्रयाग

54

वी०इी०सी० सहायक समाज कत्याण अधिकारी उप प्रभागीय वनाधिकारी सहायक समाज कत्याण अधिकारी उपप्रभागीय वनाधिकारी उपप्रभागीय वनाधिकारी

प्रतिलिपिः- जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाठी हेतु।

Lettebebee the tettebelt tettebelt tettebebee t

उपजिल्प्र्रियेकारी/अध्यक्ष उपखण्ड़ स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील– बसुकेदार, जनपद - रूद्रप्रयाम